कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या–9/उपा०कीट०अनु०–17/2013 /कृ0, पटना, दिनांक अप्रैल, 2015.

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री रीखी राम ठाकुर,
मेसर्स सील बायोटेक लि0,
C–12(P) इन्डस्ट्रीयल एरिया,
पासवान चौक, हाजीपरु, वैशाली–844101

विषय :– **कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 74 दिनांक 01.08.2013 का नवीकरण करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपसे प्राप्त आवेदन, कोषागार चालान एवं अन्य संगत कागजातों एवं सहायक निदेशक(पौ०सं०), वैशाली, हाजीपुर से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के आलोक में कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के तहत मेसर्स एम0डी0 बायोकोल्स प्रा0लि0 रूढ़की, सरदुलगढ़, मंशा (पंजाब) द्वारा निर्मित निम्नलिखित कीटनाशियों का उनके विमिर्नाण अनुज्ञप्ति एवं प्रिंसिपल सर्टिफिकेट की बैद्यता तिथि के आलोक में कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 74 दिनांक 01.08.2013 का नवीकरण 31.12.2016 तक के लिए किया जाता है।

क्र०	कीटनाशी का नाम
1	Neem Oil based EC Containg Azadirachtin 0.03%(300PPM) Min
2	Neem Oil based EC Containing Azadirachtin 0.15%EC (1500PPM) Min
3	Pseudomonas Fluorescens 0.5% WP
4	Triacontanol EW 0.1% Min
5	Triacontanol GR 0.05% Min
6	Trichoderma Viride 1.0% WP

2–उपरोक्त कीटनाशी का भण्डारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, में विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भण्डार स्थल पर किया जायेगा:– मेसर्स सील बायोटेक लि0, C–12(P) इन्डस्ट्रीयल एरिया, पासवान चौक, हाजीपरु, वैशाली–844101

3– यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानो के अनुसार किया जाय।

4– अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण/विपणन्न एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5– भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6– अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना एवं संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7– नियम 10 बी० के तहत सल्फर के लिए अलग बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिर्पोट दर्ज करनी होगी।

8– अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विर्निमाता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरूद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

9– कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 74 दिनांक 01.08.2013 मूल रूप में संलग्न है। कृपया प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(धर्मेन्द्र सिंह)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2252 /कृ0, पटना, दिनांक ....16.. मई ~~अप्रैल~~, 2015

प्रतिलिपि– (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान), बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, वैशाली, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।